

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या:-
निर्णय दिनांक:-

154 / 2020
08.04.2021

उनवान

सोहनी देवी पुत्री लड्डू जाति नाई निवासी बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक हाल
पत्नी राधेश्याम जाति नाई निवासी निमोला तहसील व जिला टोंक

-प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

- प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:-

1. श्री दिनेश मोरवा वकील प्रार्थीया
2. परोकार सरकार

निर्णय


प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं:-

यह कि प्रार्थीया संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 1304/579 रकबा 0.75 है0 , ख0न0 219 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 है0 एवं ख0न0 231 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है।

प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम सोहनी देवी है जो राशनकार्ड आधार व अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम सोहनी देवी अंकित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया नाम सहवन से सोहनी देवी पुत्री लड्डू के स्थान पर सुमित्रा पुत्री लड्डू अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम सोहनी देवी पुत्री लड्डू है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम सोहनी देवी पुत्री लड्डू के स्थान पर सुमित्रा पुत्री लड्डू दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीया उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने, कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थीया की अधियाचना है कि प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 1304/579 रकबा 0.75 है0 , ख0न0 219 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 है0 एवं ख0न0 231 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थीया का नाम सुमित्रा पुत्री लड्डू के स्थान पर सोहनी देवी पुत्री लड्डू अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

s.136.125


उपखण्ड अधिकारी
उनियारा

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी परोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम उनियारा आराजी ख0न0 1304/579 रकबा 0.75 है0 , ख0न0 219 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 है0 एवं ख0न0 231 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम बामनिया तहसील उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक सुमित्रा पुत्री लड्डू दर्ज है। ग्रामवासियों कसे पूछताछ मे पाया गया कि सुमित्रा एवं सोहनी देवी एक ही महिला है एवं प्रार्थीया के व्यक्तिगण दस्तावेज, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड बैंक डायरी, पहचान पत्र आदि में प्रार्थीया का नाम सोहनी देवी पत्नी राधेश्याम है।

प्रार्थीया के वकील ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सीताराम, पप्पूलाल पुत्रान सुन्दरा, गोविन्दा दत्तक पुत्र लड्डू जाति नाई निवासी बामनिया के शपथ पत्र पेश किया ।

प्रार्थीया की वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ख0न0 1304/579 रकबा 0.75 है0 , ख0न0 219 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 है0 एवं ख0न0 231 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक सुमित्रा पुत्री लड्डू के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब बताया कि ग्रामवासियों कसे पूछताछ मे पाया गया कि सुमित्रा एवं सोहनी देवी एक ही महिला है एवं प्रार्थीया के व्यक्तिगण दस्तावेज, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड बैंक डायरी, पहचान पत्र आदि में प्रार्थीया का नाम सोहनी देवी पत्नी राधेश्याम है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह आराजी ख0न0 1304/579 रकबा 0.75 है0 , ख0न0 219 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 है0 एवं ख0न0 231 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक में सुमित्रा पुत्री लड्डू के स्थान पर सोहनी देवी पुत्री लड्डू दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तीय या अन्य किसी संस्था व व्यक्ति का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति को प्रार्थीया स्वयं सूचित करेगी।

यह निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



सुश्री रजनी मीसा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक